

प्ररूप- 17

बच्चों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के समय पेश की जाने वाली रिपोर्ट [नियम 18 (2), 19(25)]

मामला सं०.....

बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया.....

प्रस्तुत करने की तिथि प्रस्तुत करने का समय.....

प्रस्तुत करने का स्थान.....

1. बच्चे को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का विवरण :

- (i) व्यक्ति का नाम.....
- (ii) उम्र.....
- (iii) लिंग.....
- (iv) पता.....
- (v) संपर्क फोन संख्या.....
- (vi) व्यवसाय.....
- (vii) संगठन/बा०सं०सं०/एस०ए०ए० का नाम.....

2. प्रस्तुत किया गया बालक:

- (i) नाम (यदि कोई हो).....
- (ii) आयु (आयु लिखें/शक्ति सूरत के आधार पर आयु लिखें)
- (iii) लैंगिकता.....
- (iv) पहचान चिह्न.....
- (v) बच्चे की भाषा.....

3. माता-पिता / संरक्षक का विवरण (यदि उपलब्ध हो)

- (i) नाम.....
- (ii) आयु.....
- (iii) पता.....
- (iv) संपर्क (फोन) संख्या.....
- (v) व्यवसाय.....

4. स्थान जहां बच्चा प्राप्त हुआ.....

5. उस व्यक्ति का विवरण जिसके साथ बच्चा पाया गया:

- (i) नाम.....
- (ii) आयु.....
- (iii) पता.....
- (iv) संपर्क (फोन) संख्या (v) व्यवसाय.....
6. बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया ?
7. बच्चे पर किसी भी प्रकार के अपराध/दुराचार का बच्चे द्वारा किया गया दोषारोपण.....
8. बच्चे की शारीरिक स्थिति.....
9. प्रस्तुति के समय बच्चे का सामान.....
10. बच्चे के बा०सं०सं० / एस० ए० ए० में आने की तिथि और समय.....
11. बच्चे के परिवार को खोजने के लिए किए गए तुरंत प्रयास?.....
12. क्या बच्चे की चिकित्सा जांच की गयी है?
13. क्या पुलिस को सूचित किया गया है ?

बच्चे के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
बच्चे को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर /
अंगूठे का निशान

पुलिस-स्थानीय पुलिस/विशेष किशोर अपराध पुलिस इकाई / पदेन बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/ रेलवे पुलिस/परिवीक्षा अधिकारी / सार्वजनिक सेवा का कोई भी कर्मचारी/समाज कल्याण संगठन / सामाजिक कार्यकर्ता/बा०सं०सं० के प्रभारी व्यक्ति/ एस०ए०ए०/कोई भी नागरिक / स्वयं बालक अथवा बालिका (जो भी लागू हो, भरा जाए)।